(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 25/2023

दिनांकः 4/5 अगस्त, 2023

विषयः गेहूं के आटे के निर्यात हेतु ङ–136 पर मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) की शर्तों में संशोधन के संबंध में।

समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

सार्वजनिक सूचना सं. 62/2015–20 दिनांक 23.03.2023 में यथा संशोधित सिओन ङ.–136 के लिए, टिप्पणी 3 को निम्नानुसार जोड़ा जाता है:

टिप्पणी 3: मिलेट्स सहित गेहूं के आटे को भी नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन निर्यात की अनुमति है:

क. निर्यात मदों में न्यूनतम 65% मात्रा में गेहूं का आटा और अन्य सामग्रियों (यदि कोई हो) के अलावा न्यूनतम 15% मात्रा में मिलेट्स शामिल होगा।

ख. ऐसी निर्यातित मदों यानी 'मिलेट्स सहित गेहूं के आटे (आटा)' के लिए अग्रिम प्राधिकार–पत्र के तहत गेहूं की आयात पात्रता की गणना निर्यात मद में संपूर्ण गेहूं के आटे (आटा) की प्रतिशत मात्रा के अनुपात में की जाएगी, यानी प्रति 1 किलोग्राम संपूर्ण गेहूं के आटे (आटा) के निर्यात के लिए 1.07 किलोग्राम गेहूं के आयात की अनुमति होगी।

ग. निर्यात मद में शामिल किए जा रहे मिलेट्स और अन्य सामग्रियों को घरेलू रुप से प्राप्त किया जाएगा।

घ. शिपिंग बिल में निर्यात विवरण स्पष्ट रूप से संपूर्ण गेहूं के आटे की प्रतिशत मात्रा, मिलेट्स की प्रतिशत मात्रा और शामिल की जा रही अन्य सामग्रियों को स्पष्ट रुप से इंगित किया जाएगा।

ड. सार्वजनिक सूचना संख्या 38/2015–20 दिनांक 25.11.2022 और सार्वजनिक सूचना सं. 62/2015–20 दिनांक 23.03.2023 में पूर्व में विनिर्दिष्ट सभी अन्य शर्तें लागू रहेंगी

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः सिओन 'ङ–136 को मिलेट्स सहित गेहूं के आटे के निर्यात को अनुमति प्रदान करने हेतु संशोधित किया जा रहा है।

संतोष कुमार सारंगी
4.8.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/85/171/00014/डीईएस VI से जारी)